- (b) The phrase "registered brand name" means, -
 - (A) a brand registered as on or after the 15th May, 2017 under the Trade Marks Act, 1999 irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;
 - (B) a brand registered as on or after the 15th May, 2017 under the Copyright Act, 1957(14 of 1957);
 - (C) a brand registered as on or after the 15th May,2017 under any law for the time being in force in any other country.".
- 2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[F.No.354/320/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note: - The principal notification No.2/2017- Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 35/2017- Union territory Tax (Rate) dated 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 1294 (E), dated the 13th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सं. 43/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर(दर)

सा.का.िन.1399(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 4/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 713(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-

"4क	5201	कच्चा कपास	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति";

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत होगी।

[फा. सं. 354/320/2017-(टीआरयू)]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 4/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर(दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 713(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2017 संघ राज्यक्षेत्र कर(दर) दिनांक 13 अक्तूबर, 2017, जिसे सा.का.िन. 1295 (अ) दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2017

No. 43/2017-Union territory Tax (Rate)

G.S.R.1399 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.4/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 713 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-In the said notification, in the TABLE, -

(i) after Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"4A.	5201	Raw cotton	Agriculturist	Any registered person".

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[F. No. 354/320/2017- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: - The principal notification No.4/2017- Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 713(E), dated the 28th June, 2017and last amended by Notification No. 36/2017-Central Tax(Rate Union territory Tax (Rate) dated 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1295 (E), dated the 13th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सं. 44/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर(दर)

सा.का.िन.1400 (अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, संघ राज्यक्षेत्र (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.िन. 714 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) मे प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"6 क	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
6 ख	5801	कॉरडरॉय फेब्रिक
6 ग	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक,शीर्ष सं .5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (क्सबोल्ड)"।

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत होगी।

[फा. सं.354/320/2017-टीआरय्]

मोहित तिवारी, अवर सचिव